



# **Technique & Advantage Of Rain water Harvesting**



# RAIN WATER HARVESTING

वर्षा जल संचयन

वर्षा जल संचयन

एक गंभीर समस्या

↓  
गहन चिंतन

↓  
सतत् प्रयास

↓  
सरल समाधान



# RAIN WATER HARVESTING

## वर्षा जल संचयन

What is Rain Water Harvesting?

It can be termed as the activity of direct collection of water which can be stored for direct use or can be recharged into the groundwater.





# RAIN WATER HARVESTING

वर्षा जल संचयन



वर्षा जल संचयन  
की  
आवश्यकता क्यों हैं!



# RAIN WATER HARVESTING

वर्षा जल संचयन



3000 मीटर मोटी परत







# RAIN WATER HARVESTING

## वर्षा जल संचयन

2.7 % ताजा पानी

97.3%  
समदी  
जल  
|  
खारा  
पानी



हमारी समस्त जल आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र  
0.50 % + 0.20% जल भाग से ही होती है ।



# RAIN WATER HARVESTING

## वर्षा जल संचयन

!! भूगर्भीय जल के दोहन का प्रभाव

## भूगर्भीय जल स्तर का निरन्तर नीचे गिरना परिणाम

- हैण्ड पम्पों का सूखना।
- कुओं का सूखना।
- ट्यूबवैल का पानी उतर जाना।
- जलापूर्ति हेतु नये गहरे ट्यूबवैल का निर्माण – अधिक लागत।
- पानी की उपलब्धता दुरुह होते जाना।
- भूमि सतह का शुष्क होना।
- वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों का सूखना तथा ज़मीन का धंसना।



# RAIN WATER HARVESTING




## वर्षा जल संचयन

एक घर

कुछ वर्षों बाद  
जलस्तर के गिरने

परिणाम ज़मीन का धंसना ,  
घर का क्षतिग्रस्त होना

पर







# RAIN WATER HARVESTING

वर्षा जल संचयन



!! जल की कमी क्यों है !!

बारिश की बूंदें भूमि पर आती हैं।

बूंदें इकट्ठी होकर जलधारा का रूप ले लेती हैं

यह जल नालियों से बहते हुए

बड़े नालों में

तथा कर्मशः नदियों में बहते हुए

अन्ततः सागर में मिलकर खारा हो जाता है

तथा मानवोपयोगी स्वरूप खो देता है



# RAIN WATER HARVESTING

वर्षा जल संचयन

अतः वर्षा जल संचयन ही एकमात्र सार्थक समाधान हो सकता है।



नगरीय क्षेत्र के लिए भवनों की छतों का वर्षा जल संचयन ही सुरक्षात्मक समाधान है क्योंकि छत का पानी 'शुद्ध एवं सुरक्षित होता है'




# RAIN WATER HARVESTING

## वर्षा जल संचयन

रिचार्ज पिट

अनमानित मूल्य रु 4,000 स 7,000

100 वर्ग मी० छत हेतु  
2-3 मी० गहराई पर  
बलुई मिट्टी होने पर






# RAIN WATER HARVESTING

## वर्षा जल संचयन

रिचार्ज पिट के साथ बोर होल

अनमानित मल्य रु 9,000 स 15,000

100~500 वर्ग मी० छत हेतु  
बलुई मिट्टी 3~10 मी गहराई पर





# RAIN WATER HARVESTING

## वर्षा जल संचयन

रिचार्ज सोक ट्रेंच

अनमानित मल्य रु 8,000 स 12,000

200~300 वर्ग मी० छत हेतु

1~1.5 मी० गहराई पर बलुई मिट्टी होने पर

छिद्रयुक्त  
आर०सी०सी०  
स्लैब

बालू  
ईंटों के  
दुकड़े

0.5~1.0 मी०

1.0~2 मी०



(भवन के चारों ओर)






# RAIN WATER HARVESTING

## वर्षा जल संचयन

रिचार्ज सोक ट्रेंच + रिचार्ज पिट

अनमानित मूल्य रु 10,000 स 16,000





# RAIN WATER HARVESTING


## वर्षा जल संचयन

रिचार्ज सोक ट्रैच +  
रिचार्ज पिट के साथ बोर होल

अनमानित मल्य रु 12,000 स 24,000

300-1500 वर्ग मी छत हेतु

बलुई मिट्टी 6-15 मी गहराई पर  
प्रारम्भ हो






# RAIN WATER HARVESTING

## वर्षा जल संचयन

रिचार्ज शॉफ्ट

अनमानित मूल्य रु 38,000 स 65,000

1500 वर्ग मी० से बड़े क्षेत्र हेतु  
बलुई मिट्टी 10-15 पर







# RAIN WATER HARVESTING

## वर्षा जल संचयन

रिचार्ज वेल

अनमानित मूल्य रु 65,000 स 90,000

1000 से बड़े क्षेत्र हेतु  
बलुई मिट्टी 10-15 मी०  
पानी 20 मी० गहराई पर





# RAIN WATER HARVESTING

## वर्षा जल संचयन

जल बचाइये,  
तो जीवन बचा रहेगा ।



नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा नये प्रस्तावित निजी भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कराये जाना सुनिश्चित कराये जाने हेतु भवन के नक्शे की स्वीकृति दिये जाने के समय निम्नानुसार सुरक्षा राशि लिया जाना प्रावधानित किया है

(तीन वर्ष की समयसीमा में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग लगाये जाने पर वापसी योग्य):—

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. 500 से 1000 वर्गफुट तक के भवनों हेतु  | रु. 7000/—   |
| 2. 1001 से 2000 वर्गफुट तक के भवनों हेतु | रु. 10,000/— |
| 3. 2001 से 5000 वर्गफुट तक के भवनों हेतु | रु. 20,000/— |
| 4. 5001 वर्गफुट से ऊपर भवनों हेतु        | रु. 30,000/— |

**रायपुर नगर निगम, क्षेत्र में वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग से संबंधित नियम:—**

- 1. नये भवनों में प्रस्तावित भवनों में मानचित्र स्वीकृति के समय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाना सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा राशि वापसी योग्य जमा कराया जायेगा।**
- 2. निर्मित भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का निर्माण एवं रख-रखाव प्रावधानुसार नहीं करता तो प्राधिकारी प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर अधिकतम रूपये 1000 (एक हजार) प्रतिवर्ष के मान से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।**

**(300 वर्गमीटर से अधिक भूखण्ड में निर्मित मकान पर लागू)**

# Technique & Advantage Of Rain water Harvesting

- ***K.Panigrahi & Smt Sarita Panigrahi***  
(Sr.Hydrogeologist)

**Last 15 Years Devoted in The Field Of Rain Water Harvesting**

90/A,Sector-II Geetanjali Nagar,Raipur,Chhatisgarh

Ph:09424203408/09424203354/09425207953

Res:0771-4263167